राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–1512/2024/261 दिनांकः– 27/04/2024

आदेश

नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसचित क्षेत्र) में निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांग श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया था। जो कि One Leg श्रेणी की दिव्यांग न होकर One Leg श्रेणी से भिन्न श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी है:–

क्रसं	अवमानना याचिका संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	जाति वर्ग	आई. डी. संख्या	मेडिकल परीक्षण दिनांक	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से जांच उपरान्त दिव्यांगता का प्रकार	प्राप्तांको का कुल औसत प्रतिशत
1.	505/2022	मनोज कुमारी	OBC NCL FEMALE	3216261	11.06.2020	(OAL) ONE ARM AND ONE LEG >40%	45.089

नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के सन्दर्भ में जारी विज्ञप्ति में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण के संबंध में विज्ञापित पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्य जन का (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार दिव्यांगों (Persons with disabilities) को 3 प्रतिशत आरक्षण दण्डक्त रूप से देय था। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जायेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 में बिन्दुवार 32 में वर्णित पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ही उसी श्रेणी में आरक्षित का लाभ देय है। जिसमें 40 प्रतिशत या इससे अधिक One Leg Locomotor (OL) Disability होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थी आरक्षित पद हेतु पात्र होगें।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29.07.2013 के अनुसार नर्स के पद के कार्य एवं दायित्वों को देखते हुये ग्रुप–सी में जनरल नर्स हेतु One Leg श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही पात्र है। ग्रुप–सी में निम्नानुसार उल्लेखित है :–

"Gives bedside care in cases of illness, assists Physician in examination and operation of patient and performs other nursing tasks. Maintains record of patient's treatment, temperature, respiration, pulse rate, nourishment, progress, etc. Administers medicines and injections, as prescribed; dresses wounds and renders first aid.

The work is performed inside as well as outside, the work place is a well-lighted rooms. The incumbent should be considered with aids and appliances The worker works alone and also."

विभाग में वर्ष 2013 में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु जारी विज्ञप्तियों के सन्दर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.07.2013 के अनुसार One Leg श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही योग्य माना जाकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, अन्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को इन पदों हेतु पात्र नही माना गया।

नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के सन्दर्भ में जारी विज्ञप्ति में उपरोक्त आधार पर स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक One Leg Locomotor (OL) Disability होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थी आरक्षित पद हेतु पात्र माना जायेगा। 40 प्रतिशत से कम One Leg Disability होने पर अपने पैतृक वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की तरह आवेदन का पात्र होगा। One Leg के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की नि :शक्तता होने पर विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।

अधीक्षक, जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर से प्राप्त दिव्यांगता रिपोर्ट के आधार पर One Leg Locomotor (OL) कैटेगरी में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी में तथा One Leg Locomotor (OL) कैटेगरी में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी में दिव्यांग पाये गये अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त किए जाने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1760/2020 श्रीमती सुनीता कुमारी व अन्य एवं संलग्न अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 का सार निम्नानुसार है :–

10. Accordingly, this Court holds that those candidates, who have one leg disability above 40% shall be considered under the reserved category for appointment on the posts of ANM/GNM as per their merit. However, other candidates, who have disability other than one leg, would not be eligible to claim appointment under the reserved quota, but could be

RajKaj Ref
6726243

eligible to be considered under Open Category or in their own category of SC/ST/OBC as per their own merit provided they are found to be suitable in terms of Rule 13 of the Rules of 1965, which reads as under:

"13. Physical Fitness:- A candidate for direct recruitment to the Service, must be in good mental or bodily health and free from any mental or a physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of candidate promoted in the regular line of promotion, or who is already serving in connection with the affairs of the State if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency."

If any of the candidates' candidature is rejected, then a speaking order shall be passed rejecting their candidature and the concerned candidate(s) would be entitled to assail the same independently.

11. In view of the aforesaid terms, the writ petitions are disposed of. All the pending applications also stand disposed of.

चूंकि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्य जन का (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29.07.2013 में One Leg कैटेगरी के अतिरिक्त किसी भी अन्य कैटेगरी के दिव्यांग को नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता है, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16754/2015 छोटू लाल गुर्जर बनाम सरकार में पारित निर्णय 07.12.2015, डी0बी0 स्पेशल अपील संख्या 1263/2015 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 में केवल One Leg कैटेगरी को ही योग्य माना है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एसएलपी संख्या 9465/2017 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2020 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा इस एसएलपी को Dismiss किया गया, पारित आदेश निम्नानुसार है:-

"We have heard learned counsel for parties.
It appears that the government has not found it feasible to accommodate the petitioner.
We are not inclined to interfere. The special leave patition(s) is/are accordingly dismissed.
Pending applications shall also stand disposed of."

उक्तानुसार One Leg (OL) श्रेणी के अतिरिक्त किसी अन्य विकलांगता हेतु यह JOB Suitable नहीं है तथा 2018 से पूर्व की गई नर्स श्रेणी द्वितीय भर्ती में भी इस नियम को अपनाया गया है तथा One Leg विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही इस श्रेणी में योग्य मानते हुये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इस संदर्भ में छोटू लाल गुर्जर वाले उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा Both Leg पद हेतु आरक्षण की मांग को अमान्य किया है।

आरक्षण का प्रावधान वंचित वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। One Leg श्रेणी की तुलना में Both Leg, Both Arm, OL-OA श्रेणी के दिव्यांग ज्यादा वंचित है, किन्तु इसके उपरांत भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छोटूलाल गुर्जर प्रकरण में यह आरक्षण की मांग को निरस्त कर दिये जाने के पीछे एक ही तर्क है कि JOB की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिये। चूंकि नर्स श्रेणी द्वितीय पद One Leg श्रेणी की विकलांगता के लिये ही उपयुक्त माना है। मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि One Leg श्रेणी से भिन्न श्रेणी वाला व्यक्ति इन पदों का दायित्व निर्वहन कर पायेगा अथवा नहीं? बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को जिस पद का दायित्व दिया गया है, वह उसके स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा हेतु भी अनुकूल हो।

एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 1760/2020 सुनीता कुमारी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एवं अन्य संलग्न याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 की पालना में दिव्यांग अभ्यर्थियों का सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पुनः दिव्यांगता परीक्षण कराये जाने पर One Leg Locomotor (OL) के अतिरिक्त पाये गये अन्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में प्रचलित नियमों के परिपेक्ष्य में समीक्षा हेतु निदेशालय के संशोधित आदेश क्रमांक 1327 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक का आयोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक 1329 दिनांक 29.09.2020 के क्रम में दिनांक 30.09.2020 को निदेशक (जन स्वा0) की अध्यक्षता में किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 1339 दिनांक 30.09.2020 के अनुसार गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि:-

"बैठक में नर्स श्रेणी द्वितीय/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती-2018 के संदर्भ में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा विकलांगता परीक्षण के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी, जो One Leg श्रेणी से भिन्न विकलांगता रखते है, जो कि Both Leg, One Arm, OH, Both Arm इत्यादि है, को नर्स श्रेणी द्वितीय (नर्सिंग ऑफिसर) पदो के दायित्वों के निर्वहन में बाधक नहीं माना है, के संबंध में कमेटी द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्रों को पदों के जॉब चार्ट, कार्य अवधि, इस श्रेणी की विकलांगता के स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्य जन का (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के तहत विकलांग हेतु आरक्षण का प्रावधान विभिन्न भर्तियों में किया गया है एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29.07.2013 के मध्यनजर गहन विचार विमर्श कर कमेटी सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नर्स श्रेणी द्वितीय (नर्सिंग ऑफिसर) का पद One Leg श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के अलावा अन्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये उपयुक्त नहीं हैं।"

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 28.12.2016 (राजस्थान विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2018) के अनुच्छेद 33 में प्रावधान है कि पदों की उपयुक्तता पदनाम का निर्धारण किया जावें एवं साथ ही राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के अनुच्छेद 06 में यह भी प्रावधान है कि आगे दर्शाई गई कमेटी द्वारा इस संबंध में रिलेक्सेशन दिया जा सकेगा। जिसके क्रम

RajKaj Ref
6726243

में दिनांक 18.12.2020 के द्वारा राजस्थान विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2018 के नियम 5 के संबंध में दिनांक 25.11.2020 को शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 18.12.2020 के द्वारा शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में केवल One Leg को ही उपयुक्त माना है। इस प्रकार पूर्व में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों जो One Leg की पात्रता नहीं रखने के कारण उनकी पात्रता निरस्त की गई है, को समर्थन मिलता है।

निःशक्तजन अभ्यर्थियों के संबंध में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति कार्य सम्पादन कर सकता है अथवा नहीं? बल्कि यह महत्वपूर्ण है की वह पद जिसपर नियुक्ति दी जानी है, उसकी निःशक्तता को देखते हुए उपयुक्त है अथवा नहीं। उक्त समिति द्वारा इस प्रकार वन लैग (OL) के अतिरिक्त अन्य सभी लोकोमोटर निःशक्तताओं हेतु नर्स/ए.एन.एम. के पद को उपयुक्त नहीं माना है।

समान प्रकृति के प्रकरण को एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 104/2020 अणदू बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2020 के विरूद्ध डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 241/2021 राजस्थान सरकार बनाम अणदू में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 को राज्य पक्ष में आदेश पारित कर एकलपीठ के निर्णय दिनांक 15.12.2020 के प्रभाव और क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1092/2020 मानवेन्द्र सिंह बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2021 को निर्णय पारित कर वनलेग लोकोमोटर (OL) दिव्यांगता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की दिव्यांगता संबंधित यचिका को खारिज कर दिया है।

ऐसे ही समान व कनेक्टेड प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1918/2020 कैलाश कांसवान बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं याचिका संख्या 1286/2020 भावना दाधीच बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय में डी.बी. स्पेशल याचिका संख्या 145/2022 सरकार व अन्य बनाम कैलाश कांसवान एवं डी.बी. स्पेशल याचिका संख्या 144/2022 सरकार व अन्य बनाम भावना दाधीच दायर करवाई जा चुकी है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को आदेश पारित कर सिंगल बैंच द्वारा पारित निर्णय को स्टे कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि अकादमिक व व्यावसायिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाकर की जाने वाली भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की प्रकिया अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के सत्यापन एवं पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य से अपनाई जाती है। दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण उनकी इस भर्ती हेतु पात्रता के निर्धारण एवं यदि भर्ती हेतु पात्र हैं तो आरक्षण हेतु पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य से किया जाता है। पात्रता का निर्धारण होने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन उपरान्त दुरुस्त किये गये डेटा के आधार पर अंतरिम चयन सूची जारी की जाती हे जिसपर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण उपरान्त अंतिम चयन सूची जारी की जाती है एवं अंतिम तौर पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जाता है व पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद कार्यग्रहण के समय नियम 13 के अनुसार मेडिकल परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार भर्ती नियम 13 का प्रावधान इस दृष्टि से किया गया है ताकि नवचयनित अभ्यर्थी किसी भी ऐसे रोग से मुक्त हों, जो उनके दायित्वों के निर्वहन में बाधक सिद्ध हो सकते हो, दूसरे शब्दों में यह नियम अन्यथा सामान्य दिखने वाले अभ्यर्थियों की जॉच करने का प्रावधान प्रदान करता है ताकि मेरिट में चयन होने के उपरान्त भी शारीरिक/मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं होने की स्थिति में उन्हें कार्यग्रहण करने से रोका जा सके। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता का मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता के निर्धारण हेतु परीक्षण करवाया गया। जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ता वन लैग श्रेणी के अतिरिक्त अन्य प्रकार की दिव्यांगता (वन आर्म एंड वन लेग; ओ.ए.एल.) रखती है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने वन लेग श्रेणी की दिव्यांगता नहीं होते हुए भी वन लेग दिव्यांग श्रेणी में नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 में आवेदन किया जो दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सही नहीं पाया गया फलस्वरूप याचिकाकर्ता को इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं माना जा सकता। भर्ती नियम–13 के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता के प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया गया कि मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता नर्स श्रेणी द्वितीय पद के दायित्वों के निर्वहन में बाधक सिद्ध होगी।

इस प्रकार अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन के समय इस तथ्य को छुपाकर आवेदन किया गया है कि वह One Leg श्रेणी दिव्यांगता हेतु पात्रता नहीं रखती थी और दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जिसमें केवल One Leg अभ्यर्थी ही पात्र थे।

उक्त विवरण अनुसार रिट याचिका संख्या 1760/2020 सुनीता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में याचिकाकर्ता सुश्री मनोज कुमारी (आईडी संख्या 3216261) के द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन को One Leg श्रेणी से भिन्न दिव्यांगता (OAL) ONE ARM AND ONE LEG >40% होने के कारण तथा मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता नर्स श्रेणी द्वितीय पद के दायित्वों के निर्वहन में बाधक सिद्ध होने से निरस्त किया जाकर इनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांकः– 27/04/2024

क्रमांकः–अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–1512/2024/961
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता (चिकित्सा), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

6726243

3. डॉ. मनोज कुमार शर्मा, स्थायी केस प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
5. Smt. Manoj Kumari D/O Har Lal Singh, Resident of Village Bas Bajawa (Rawatka), Post Bajwa, Via Badagaon, Tehsil Udaipurwati, District Jhunjhunu (Raj.)
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6726243

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :26-04-2024 04:19:40